मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 28, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:05 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

1. जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामना

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से श्री प्रेमसिंह पटेल, सदस्य के जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई.

2. स्वागत उल्लेख

माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में (1) श्री विवेक तन्खा, राज्यसभा सांसद की उपस्थिति पर एवं (2) अमेरिका के मुंबई स्थित दूतावास से उपायुक्त रॉबर्ट पॉल्सन हाउज़र की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. तारांकित प्रश्न संख्या-4 (खण्डवा जिले में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों को मुआवजा) पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा शासन को आवश्यक निर्देश दिए गए. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 168 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 162 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. व्यवधान से कार्यवाही स्थगित की जाना

तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 42) पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा प्रदेश के किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा एवं बोनस देने की मांग पर व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा पहले पूर्वाह्न 11.45 बजे से सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11.53 बजे पुन: समवेत हुई तथा पुन: अपराह्न 12.13 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 12.18 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति "एन.पी.") पीठासीन हुए.

5. बहिर्गमन

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा किसानों को बोनस न दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया.

6. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्षीय घोषणानुसार निम्नलिखित माननीय सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी :-

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिला अंतर्गत हीरा खदानों की नीलामी अन्यत्र किया जाने से कुशल कारीगरों का पलायन किये जाने,

(2) श्री हिरालाल अलावा, सदस्य की प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का बड़े पैमाने पर बनाए जाने,

(3) डॉ. मोहन यादव, सदस्य की देवास रोड़ पर ग्राम एवं निवेश क्षेत्र की आवासीय वस्तियों में पेयजल की व्यवस्था करवाये जाने,

(4) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा जिला मुख्यालय पर अनुसूचित जाति बालक एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास का निर्माण कराये जाने,

(5) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी के प्रबंध संचालक द्वारा पद का दुरूपयोग कर गंभीर अनियमितताएं की जाने,
(6) श्री श्यामलाल द्विवेदी, सदस्य की रीवा जिले के सौनारी मउगंज मार्ग स्थित चौराघाट की कटिंग न किये जाने,
(7) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की संभागीय मुख्यालय सागर में शासकीय महिला विश्वविद्यालय खोले जाने,
(8) श्री के.पी. त्रिपाठी, सदस्य की रीवा जिले में अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ फसल नष्ट होना एवं मुआवजा न मिलने तथा
(9) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की म.प्र. के पुजारियों को मंदिर से संबंधित भूमि का मुआवजा किसान की तरह दिये जाने,
(10) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य ने जिला सिवनी के ग्राम सोनाडोंगरी में 6 वर्ष की मासूम के साथ हुए बलात्कार की घटना को स्थानीय पुलिस द्वारा छुपाये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचना पढ़ी गई.

7. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख एवं अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) प्रदेश के किसानों को बोनस दिया जाना

श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष एवं डॉ. नरोत्तम मिश्र, श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि प्रदेश के किसानों को अतिवृष्टि के कारण उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा एवं बोनस अभी तक सरकार द्वारा नहीं दिया गया है जबकि वचन पत्र में बोनस देने की बात कही गई थी. प्रदेश के किसानों में सरकार के प्रति आक्रोश व्याप्त है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है.

श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि पिछले वर्ष जब हमने किसानों को बोनस दिया तो केन्द्र सरकार ने बोनस देने के विरोध में 7 लाख टन फसल की खरीदी कम करने का पत्र दिया. मेरा प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध है कि आप सदन में ही नहीं, केन्द्र सरकार से नुकसान का मुआवजा दिलवाएं. मैं केन्द्र के पत्र को माननीय सदस्यगण को उपलब्ध करा दूंगा.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इस विषय पर आप सभी माननीय सदस्यगण अनुपूरक अनुमान या अन्य माध्यमों से चर्चा कर सकते हैं, दोनों पक्षों के सदस्यों से अनुरोध है कि जब नेता प्रतिपक्ष या सदन के नेता खड़े हों तो सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिए, यह इस सदन की परम्परा रही है. किसानों के विषय पर श्री शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर समस्या का हल निकाल लें.

(2) जबलपुर जिले में धान खरीदी के केन्द्र खोला जाना

श्री अजय विश्नोई, सदस्य ने उल्लेख किया कि जबलपुर में धान खरीदी हेतु खरीदी केन्द्र कम होने से किसानों व अपनी फसल बेचने में समस्या आ रही है. किसान मझौली के बरगी और पाटन के परलीखेड़ा में धरने पर बैठे है. शासन वहां तुलाई केन्द्र बढ़ाने की अनुमति प्रदान करे और किसानों के धान की तुलाई सुनिश्चित करे.

आसंदी ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री को निर्देशित किया कि वे इस ओर ध्यान दें और वहां पर समुचित केन्द्र खोलने की व्यवस्था करें.

(3) नीमच जिले की जावद विधान सभा की नगर पंचायतों के स्वीकृत कार्यों का भुगतान बंद किया जाना

श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सदस्य ने उल्लेख किया कि नीमच में जावद विधान सभा की 7 नगर पांचायतों में से 6 नगर पंचायतों के कार्य को बंद करके उनका भुगतान रोक दिया गया है. सरकार इस ओर ध्यान दे.

(4) शासकीय कार्यक्रमों में संबंधित क्षेत्र के प्रतिपक्ष के विधायकों की उपेक्षा की जाना

सर्वश्री अशोक रोहाणी, शिवराज सिंह चौहान, सदस्यगण एवं गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि विगत माह आप लैब के भूमि पूजन के समय मेरी विधान सभा में आये थे लेकिन उस कार्यक्रम की सूचना प्रशासन द्वारा मुझे नहीं दी गई थी लेकिन मेरा मानना है कि प्रोटोकाल के हिसाब से विधान सभा अध्यक्ष हमारे यहां आ रहे है तो मुझे उनका स्वागत करना चाहिए. इस लिए मैं उस कार्यक्रम में पहुँचा, लेकिन वहां जो बेनर लगा था उसमें उस क्षेत्र के सभी विधायकों के फोटो लगे थे लेकिन मेरा उसमें फोटो नहीं था. मैंने आपसे उसकी कोई शिकायत नहीं की. इसी तरह ओशो महोत्सव के कार्यक्रम में भी मेरे द्वारा फोन करने के बाद मुझे आमंत्रण पत्र मिला. मैं आसंदी से अनुरोध करता हूं कि आसंदी को विधायकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है इसलिए आपकी तरफ से ऐसे निर्देश दिये जाने चाहिए कि विधायकों की उपेक्षा और अपमान न किया जाए, उनको सम्मान मिले. विधायक किसी भी पक्ष का हो उसका सम्मान और गरिमा रहनी चाहिए.

डॉ गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि 15 दिन पूर्व ही उनके विभाग द्वारा समूचे प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये है कि शासकीय कार्यक्रम में पक्ष और विपक्ष का भेद न किया जाकर सभी माननीय सदस्यों को सम्मान दिया जाए. सभी के नाम कार्ड में छपे और सभी को मंच पर बैठने की व्यवस्था की जाए. माननीय सदस्य रोहाणी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लिखित में मुझे जानकारी दे दें, जो भी अधिकारी दोषी होंगे उनके विरूद्ध अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जायेगी, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने -

(क) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1,

(ख) मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के खण्ड I एवं II , एवं

(ग) विनियोग लेखे वर्ष 2017-18,

(घ) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16, तथा

(ङ) नगरीय निकायों का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 एवं 2015-16,

पटल पर रखे.

(2) डॉ.गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-18,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2017-18, एवं

(घ) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2016-17,

पटल पर रखें.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17,

(ख) जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 18/01/2016 से 31/03/2017), तथा

(ग) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मेन्युफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 18/01/2016 से 31/03/2017),

पटल पर रखे.

(4) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18 पटल पर रखा.

(5) श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल, पर्यटन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 38 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 पटल पर रखा.

(6) श्री लाखन सिंह यादव, पशुपालन मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017-18, एवं

(ख) नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2018-19, पटल पर रखे.

9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही प्रश्न पूछकर इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें.

(1) श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य ने सागर जिले की गढ़ाकोटा पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के साथ अत्याचार की घटनाओं पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

10. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश न होना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज भोजनावकाश नहीं होगा. सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

11. ध्यानाकर्षण (क्रमशः)

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा स्थित ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों का वर्गीकरण न किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्रम मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(3) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य ने कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे विकास कार्यों में अनियमितता होने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कमलेश्वर पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

(4) श्री मनोज चावला, सदस्य ने प्रदेश में सहारा इंडिया सहित अनेक चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री बाला बच्चन, गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया.

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री रामलाल मालवीय, सभापति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) श्रीमती झूमा सोलंकी, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित निम्न सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री जुगुल किशोर बागरी (जिला-सतना)
(2) श्रीमती कृष्णा गौर (जिला-भोपाल)
(3) श्री रामकिशोर (नानो) कावरे (जिला-बालाघाट)
(4) श्री गिर्राज डण्डौतिया (जिला-मुरैना)
(5) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(6) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
(7) श्री कुणाल चौधरी (जिला-शाजापुर)
(8) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
(9) श्री अनिल जैन (जिला-निवाड़ी)
(10) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
(11) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(12) श्री रामखेलावन पटेल (जिला-सतना)
(13) श्री गोवर्धन दांगी (जिला-राजगढ़)
(14) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
(15) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
(16) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी (जिला-दमोह)
(17) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(18) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया (जिला-शिवपुरी)
(19) श्री बृजेन्द्र सिंह यादव (जिला-अशोकनगर)
(20) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
(21) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
(22) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
(23) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
(24) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
(25) श्री मुरली मोरवाल (जिला-उज्जैन)
(26) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)
(27) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
(28) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
(29) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(30) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
(31) श्री विश्वास सारंग (जिला-रायसेन)
(32) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
(33) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
(34) डॉ. सीतासरन शर्मा (जिला-होशंगाबाद)
(35) श्री विक्रम सिंह (जिला-सतना)
(36) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
(37) डॉ. योगेश पंडाग्रे (जिला-बैतूल)

14. वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने वर्ष 2003-2004 के आधिक्य व्यय के विवरण का उपस्थापन किया.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची के पद-7 'शासकीय विधि विषयक कार्य के उप पद (1) से (4)' में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए, मैंने, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है एवं आज की कार्यसूची के पद 7 के उपपद 8 एवं 9 में उल्लेखित विधेयकों को क्रमश: 30 एवं 15 मिनट का समय चर्चा हेतु आवंटित किया गया है.

(1) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री जयवर्द्धन सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.
श्री जयवर्द्धन सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयवर्द्धन सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन विधेयक, 2019 (क्रमांक 37 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को यथापारित मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) में राज्यपाल द्वारा उनके दिनांक 13 दिसम्बर,2019 के संदेश के आलोक में निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए.

"खण्ड 2 में, उपखण्ड (उनतीस) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्

(उनतीस) "मध्यप्रदेश के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपित, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;"

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा
(2) श्री विनय सक्सेना
(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल

श्री पी.सी. शर्मा ने चर्चा का उत्तर दिया.

(संशोधन विधेयक पर विचारोपरांत)

संशोधन स्वीकृत हुआ.

श्री पी.सी. शर्मा ने प्रस्ताव किया कि यथासंशोधित रूप में मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) पुन: पारित किया जाए.

यथासंशोधित विधेयक पुन: पारित हुआ.

(7) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री अजय विश्नोई
(2) श्री कुणाल चौधरी

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 से 22 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 39 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, परिवहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 तथा 3 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 32 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019) पर विचार किया जाय.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया.

श्री प्रियव्रत सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री प्रियव्रत सिंह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विद्युत् प्रदाय उपक्रम (अर्जन) निरसन विधेयक, 2019 (क्रमांक 36 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. वर्ष 2019-2020 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 58, 60, 64, 66 तथा 67 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर तेईस हजार तीन सौ तीन करोड़, तिरतालीस लाख, बानवे हजार, आठ सौ बत्तीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री डॉ.नरोत्तम मिश्र

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं.

(2) श्री कुणाल चौधरी

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

17. माननीय सदस्यों के मध्य विवाद के कारण व्यवधान तथा अध्यक्षीय व्यवस्था

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण द्वारा श्री कुणाल चौधरी, सदस्य को न बोलने देने की बात पर श्री दिनेश राय ने उल्लेख किया कि डॉ. नरोत्तम मिश्र को उनके भाषण के दौरान श्री कुणाल चौधरी, सदस्य द्वारा बार-बार हस्तक्षेप किया जाकर उन्हें बोलने रोका गया इसलिए हम भी उन्हें बोलने नहीं देंगे. आसंदी द्वारा बार-बार समझाईश देने के बाद भी विपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान किया जाता रहा. आसंदी ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से पुन: अनुरोध किया गया कि आप लोग माननीय सदस्य को बोलने दें.

व्यवधान होने के कारण अपराह्न 03.49 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर अपराह्न 04.01 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य एवं श्री गोपाल भार्गव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्होंने अपने संसदीय काल में इस तरह का दृश्य कभी नहीं देखा. आसंदी से हम निष्पक्षता की अपेक्षा करते है लेकिन आसंदी के द्वारा बार-बार यह कहना कि सदस्यों को बाहर निकाल दिया जायेगा यह हम लोगों के लिए अपमानजनक एवं असहनीय है. आसंदी के द्वारा लगातार रोकना और आज जिस ढंग से माननीय सदस्यों को रोका गया उससे मेरे दल के सदस्य मेरे सहित अपमानित महसूस कर रहे हैं हमको लगता है कि हमारी आवाज दबाई जाती है इसलिए हमारी चर्चा करने की ही इच्छा नहीं है, हम लोग बुरी तरह से मर्माहत है.

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि मेरे दिल और दिमाग में ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार करूँ या मैं उनका दिल तोड़ू यह मेरे कर्म, वचन में नहीं है. आसंदी के प्रति सदस्यगण उत्तेजना बतायेगे या हाव-भाव से उल्लिखित करेंगे तो उससे मैं आहत हुआ और मेरे द्वारा ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा था परन्तु यह क्रिया की तत्काल प्रतिक्रिया हो गई थी, आप उसे अन्यथा न लें, सब यहां अच्छी भावना से आये है. मैं बस इतना चाहता हूं कि स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए. अब सदन की कार्यवाही चले ऐसा मेरा मानना है.

डॉ. गोविन्द सिंह, संसदीय कार्य मंत्री ने स्वीकार किया कि अब भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी और मैं अपने सभी सदस्यों से और विशेषकर माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करूंगा कि वे बीच में न खड़े हों. आसंदी, नेता प्रतिपक्ष या माननीय सदस्य को जो कष्ट हुआ है उसके लिए मैं सबकी ओर से खेद व्यक्त करता हूं.

18. वर्ष 2019-2020 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया
(4) श्री राजवर्द्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव
(5) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(6) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
(7) श्री कमल पटेल
(8) डॉ. अशोक मर्सकोले
(9) श्री संजीव सिंह

19. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि की जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित सभी कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

20. वर्ष 2019-2020 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(10) डॉ.सीतासरन शर्मा
(11) श्री विनय सक्सेना
(12) श्री जालम सिंह पटेल
(13) श्री दिव्यराज सिंह
(14) श्री दिनेश राय
(15) श्री गिरीश गौतम
(16) श्री बहादुर सिंह चौहान
(17) श्री हरिशंकर खटीक
(18) श्रीमती रामबाई गोविन्द सिंह
(19) श्री देवेन्द्र वर्मा
(20) श्री संजय यादव
(21) श्री शरदेन्दु तिवारी
(22) श्री जजपाल सिंह "जज्जी"
(23) श्री रामखिलावन पटेल
(24) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
(25) श्री राहुल सिंह
(26) श्री चेतन्य कुमार काश्यप

(27) श्री हरदीपसिंह डंग
(28) कुँवर विजय शाह

उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री हिना लिखीराम कावरे) पीठासीन हुईं

(29) श्री रामेश्वर शर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति) (एन.पी.) पीठासीन हुए.

श्री कमलनाथ, मुख्यमंत्री एवं श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

21. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री तरुण भनोत, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2019 (क्रमांक 33 सन् 2019) पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरांत)

खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री तरुण भनोत ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-7) विधेयक, 2019 (क्रमांक 33 सन् 2019) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

22. अध्यक्षीय घोषणा

(1) महात्मा गांधीजी की 150 वीं जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश विधान सभा का कस्टमाईज्ड स्टेम्प जारी किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती पर कल शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को सभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि प्रातः 10.30 बजे विधान सभा के ऑडिटोरियम में मध्यप्रदेश विधान सभा पर कस्टमाईज्ड स्टेम्प जारी करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. विधान सभा का हमारा जो चित्र है, वह स्टेम्प के माध्यम से आ रहा है, व्यवस्थित तरीके से जो सभी माननीय विधायकों को भी दिया जाएगा. इस कार्यक्रम हेतु कृपया प्रातः 10.30 बजे आधे घंटे पहले ऑडिटोरियम में आने का कष्ट करें. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में अवश्य पधारने का कष्ट करें.

(2) माननीय सदस्यों के लिए भोजन व्यवस्था विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों के लिए भोजन की व्यवस्था सदन की लॉबी में की गई है, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

23. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के तृतीय प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

क्र.	अशासकीय संकल्प क्र.	प्रस्तावक माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक - 1	श्री संजय सत्येन्द्र पाठक	30 मिनट
2.	क्रमांक -4	श्री नीलांशु चतुर्वेदी	30 मिनट
3.	क्रमांक-10	श्री हरदीप सिंह डंग	30 मिनट

श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के तृतीय प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 07.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 (अग्रहायण 29, शक सम्वत् 1941) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 19 दिसम्बर, 2019